(43)

समक्षः— विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रस्तुति दिनांक— 13.01.2026

अंतिम तर्क— 11.03.2026

आदेश दिनांक— 24.03.2026

जावक क्रमांक ...1040...
दिनांक ...24 MAR 2026

प्रकरण क्रमांक BSP/25100

श्री बद्रीनाथ देवांगन,

देवांगन मोहल्ला, हटरी चौक, जुना बिलासपुर (छ.ग.)

(बी.पी. नं. 1000302640)

..................परिवादी

/विरूद्ध/

1. कार्यपालन अभियंता (नगर) संभाग—पूर्व,
   छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 तोरवा, बिलासपुर (छ0ग0)
2. सहायक अभियंता (लिंक रोड जोन)
   छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 बिलासपुर (छ0ग0)

.... **अनुज्ञप्तिधारी**

समक्षः— मान0 श्री सी0एम0बाजपेयी (अध्यक्ष)

मान0 श्रीमती प्रीति रानी साव (सदस्य)

अंतिम तर्क में उपस्थित—

परिवादी की ओर से:— श्री बद्रीनाथ देवांगन उपस्थित। (11.03.2026)

अनुज्ञप्तिधारी की ओर से:— श्री रवि ध्रुव उपस्थित। (11.03.2026)

/आदेश/

(द्वारा — प्रीति रानी साव, सदस्य)

1. छ0रा0वि0प्र0संहिता 2011 के अनुसार परिवादी ने विद्युत देयक निरस्त करने का अभिकथन करते हुए जारी किए गए अतिरिक्त देयक को निरस्त करने पुनरीक्षित देयक प्रदाय करने का निवेदन किया है।

2. परिवादी का परिवाद पत्र में इस प्रकार है किः—

निवेदन है कि प्रार्थी का सर्विस कमांक 100302640 घरेलु कनेक्शन विद्यमान हैं। प्रार्थी फरवरी 2020 में वीआरएस कंपनी की नियमानुसार सारी औपचरिकताऐं पूर्ण करते हुये लिया गया है। प्रार्थी के द्वारा जिस समय वीआरएस लिया गया था उस समय प्रार्थी के उपर कंपनी का कोई भी बकाया राशि लंबित नही था। सहायक यंत्री लिंकरोड जोन बिलासपुर के द्वारा पत्र क्रमांक 1223 दिनांक 21.11.2025 को राशि 32183.00 भुगतान करने हेतु प्राप्त हुआ। जिस पर प्रार्थी के द्वारा दिनांक 07.01.2026 को आपत्ति दर्ज कराते हुये संबंधित कार्यालय एवं उच्च

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय को सूचना के अधिकार के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी पावती आवेदन के साथ संलग्न है।

प्रार्थी को सेवा निवृत्ति के बाद लगभग 05 वर्ष के बाद किसी भी राशि का मांग किया जाना कंपनी एवं न्यायलय के अनुसार न्यायसंगत नही है। इस संबंध में समय समय में जारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। जो कि आवेदन के साथ संलग्न है।

अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि जोन कार्यालय के द्वारा निकाली गई अतिरिक्त राशि 32183.00 रू को निरस्त करने की कृपा करें।

साथ ही माननीय महोदय से निवेदन है कि जोन कार्यालय के द्वारा उक्त राशि को नियमित बिल में जोड दिया गया है जिसके कारण प्रार्थी नियमित बिल का भुगतान नही कर पा रहा है। अतः उक्त राशि को स्थगित करते हुये नियमित बिल का भुगतान लेने हेतु अंतरिम आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

3. अनुज्ञप्तिधारी सहायक अभियंता (लिंक रोड जोन) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0 तोरवा, बिलासपुर ने अपने जवाबदावा पत्र कमांक/सहा.यंत्री/लि.रो.जो./फोरम/1603, दिनांक 21.01.2026:–

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि स0क0 1000302640 श्री बद्रीनाथ देवांगन (घरेलु कनेक्शन) के शिकायत के सबंध जवाब बिंदुवार निम्नानुसार है:–

1. विद्युत विभाग के द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों को 50::: प्रतिशत छूट एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान है एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी हाफ बिजली बिल का प्रावधान था। जिसे दोनों में से एक योजना में छूट चयन करने का अधिकार भी कर्मचारियों को था किन्तु आवेदन (विकल्प–पत्र) प्रस्तुत न करने के कारण 50::: प्रतिशत नियमित कर्मचारियों का छूट प्राप्त हो रहा था। जिसे पत्र क 02–15/राजस्व–11/581 रायपुर दिनांक 01.09.2025 के तहत बोर्ड कर्मचरियों को प्राप्त होने वाली छूट को जांच कर डिमांड करने निर्देशित किया गया। जिस आधार पर स०क0 1000302640 का माह–04/2020 से 10/2025 तक प्राप्त बोर्ड छूट 50::: प्रतिशत को 25 प्रतिशत करते हुए रू 32183/– (बत्तीस हजार एक सौ तिरासी रू मात्र) का डिमांड राशि निकाला गया है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य हाफ बिजली बिल का छूट प्राप्त करने हेतु बोर्ड कर्मचारी भी पात्र है किन्तु उक्त प्रावधान के लिये उनके द्वारा राज्य हाफ बिजली बिल की छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन (विकल्प–पत्र) की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों के द्वारा आवेदन (विकल्प–पत्र) प्राप्त नहीं होने के कारण नियमित कर्मचारी छूट 50::: प्रतिशत जारी रहा है।
3. उपरोक्त अनुसार डिमांड राशि रु 32183/– (बत्तीस हजार एक सौ तिरासी रू मात्र) उच्च कार्यालय से लगातार पत्राचार और फोन के द्वारा आदेशित करने पर डिमांड किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

4. उक्त डिमांड राशि रु 32183/– (बत्तीस हजार एक सौ तिरासी रू मात्र) के संबंध में पत्र क 1223 दिनांक 21.11.2025 को उपभोक्ता को पत्र जारी कर सूचना दिया गया था।
5. परिवादी के कनेक्शन के विरूद्ध विद्युत नियमित कर्मचारी को प्राप्त 50::: प्रतिशत छूट की राशि को सेवानिवृत्ति उपरांत 25 प्रतिशत छूट करते हुए माह–04/2020 से 10/2025 तक डिमांड राशि की गणना की गई है।

4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्कः–

लेख है। एक उपर्युक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संबंध में मेरा बिंदुवार एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. म० प्र० / छ0ग0 विद्युत मंडल द्वारा कर्मचारियों को प्रदत्त 50% विद्युत शुल्क छूट की सुविधा, सेवा प्रारंभ से ही मेरे निजी आवास देवांगन मोहल्ला, हटरी चौक, जूना बिलासपुर स्थित घरेलू कनेक्शन पर विद्युत रूप से ली जा रही है। तत्पश्चात, छ० ग० शासन द्वारा समस्त प्रदेशवासियों को 50% विद्युत शुल्क में छूट का प्रावधान लागू किया गया। चूँकि मुझे यह छूट पहले से प्राप्त थी, अतः मैंने केवल एक ही छूट का लाभ लिया है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का दोहरा लाभ (Double Benefit) नहीं लिया गया है। अतः मेरे विरुद्ध 25% अंतर राशि ₹32,183/–की मांग किया जाना तथ्यात्मक एवं न्यायसंगत नहीं है, तथा इसका कोई वैधानिक आधार नहीं बनता।
2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से किसी भी प्रकार की शासकीय देयता की वसूली नहीं की जा सकती, विशेषकर तब जब वसूली विभागीय त्रुटि या विलंब से संबंधित हो। मैं उक्त निर्देशों के अंतर्गत पूर्णतः पात्र एवं संरक्षित हूँ।
3. मैंने कंपनी की सेवा से फब मार्च 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, जिसके फलस्वरूप मुझे 50% विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई । इसके पश्चात नवंबर 2025 में सहायक अभियंता द्वारा मुझे पहली बार यह सूचित किया गया कि मेरी पात्रता 25% छूट की है तथा इसके आधार पर ₹32,183/–की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। यह उल्लेखनीय है कि मेरी सेवानिवृत को अब 6 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इतने लंबे अंतराल के बाद किसी भी प्रकार की रेट्रोस्पेक्टिव (पूर्व प्रभाव से) वसूली न तो न्यायोचित है और न ही विधिसम्मत।
4. सेवानिवृति के उपरांत विभाग द्वारा मुझे न तो कोई पूर्व सूचना (Notice) दी गई और न ही किसी प्रकार का पत्राचार क्रिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, बिना सूचना एवं विलंब के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
5. मैं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र का स्थायी निवासी एवं पंजीकृत मतदाता हूँ। सामान्य नागरिक होने के नाते मुझे शासन द्वारा प्रदत्त 50% विद्युत शुल्क छूट की पात्रता स्वतः प्राप्त है। अतः ₹32,183/– जैसी 6 वर्ष पुरानी राशि की रेट्रोस्पेक्टिव वसूली करना उचित नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

यदि विभागीय स्तर पर छूट की श्रेणी में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो वह भविष्य प्रभाव से (Prospective) किया जाना चाहिए, न कि पूर्व अवधि पर लागू किया जाए।

5. उभयपक्ष द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तर्क:–

1. **परिवादी का कथन है कि** वर्ष 2020 में जब मै सेवानिवृत्त हुआ तो सेवानिवृत्त के बाद आगामी माह से बिल में जो छूट प्राप्त हो रहा था वह राज्य सरकार के द्वारा जारी छूट है। जिसके कारण मेरे द्वारा इस पर ध्यान नही दिया गया है तथा नियमित बिल का भुगतान किया जा रहा है। अचानक से बिल में पूर्व में दी गई थी का अतिरिक्त राशि का मांग की गई जो कि न्यायोचित नही है।
2. अनुज्ञप्तिधारी से फोरम के द्वारा पुछा गया कि 1. आपके जोन के अर्तगत जितने भी बिजली बोर्ड के कर्मचारी सेवानिवृत्त होते है तो क्या इस संबंध में उच्च कार्यालय से इस संबंध में कि जो छूट 50::: प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने से संबधित जानकारी आपके कार्यालय को प्राप्त होता है अथवा नही ?
3. इस पर अनुज्ञप्तिधारी का कथन है कि यदि कर्मचारी हमारे जोन के अर्तगत होते है तो इसकी जानकारी उच्च कार्यालय से प्राप्त होता है किन्तु अन्य कार्यालय से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी की जानकारी प्राप्त नही होते है। उपभोक्ता को राज्य सरकार के द्वारा जारी छूट को विभाग के द्वारा किस प्रकार से मांग/डिमांड किया जाता है?

7. परिवाद पत्र, जवाबदावा आरोपित/प्रत्यारोपित, तथ्यों/आधारों, संलग्न दस्तावेजों, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक तर्क के आधार पर योग्य निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह है कि:–

1. **क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किया गया अतिरिक्त राशि वसूली योग्य है?**
2. **क्या परिवादी अनुज्ञप्तिधारी से वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?**

8. <u>फोरम के निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष :–</u>

1. प्रकरण के अभिलेखो में अनुज्ञप्तिधारी कमांक 1 व 2 छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सेवारत् कर्मचारी हैं व परिवादी उक्त संस्थान का विद्युत उपभोक्ता है। परिवादी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के संस्थान से विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया, जिसका विद्युत कनेक्शन कमांक **1000302640** है।
2. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिवादी को अतिरिक्त राशि जोड़कर भुगतान हेतु जारी किया गया। जिसे नियमानुसार पुनरीक्षित करने हेतु परिवादी के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में विधिवत् आवेदन पत्र दिया गया था।
3. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने जवाब/आपत्ति के पत्र कमांक 1603 दिनांक 21.01.2026 में यह उल्लेख किया गया है कि "विद्युत विभाग के द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों को 50::: प्रतिशत छूट एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान है एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी हाफ बिजली बिल का प्रावधान था। जिसे दोनों में से एक योजना में छूट चयन करने का अधिकार भी कर्मचारियों को था किन्तु आवेदन (विकल्प–पत्र) प्रस्तुत

Scanned with OKEN Scanner

(37)

न करने के कारण 50::: प्रतिशत नियमित कर्मचारियों का छूट प्राप्त हो रहा था। जिसे पत्र क 02–15/राजस्व–11/581 रायपुर दिनांक 01.09.2025 के तहत बोर्ड कर्मचरियों को प्राप्त होने वाली छूट को जांच कर डिमांड करने निर्देशित किया गया। जिस आधार पर स०क0 1000302640 का माह–04/2020 से 10/2025 तक प्राप्त बोर्ड छूट 50::: प्रतिशत को 25 प्रतिशत करते हुए रू 32183/– (बत्तीस हजार एक सौ तिरासी रू मात्र) का डिमांड राशि निकाला गया है। छत्तीसगढ़ राज्य हाफ बिजली बिल का छूट प्राप्त करने हेतु बोर्ड कर्मचारी भी पात्र है किन्तु उक्त प्रावधान के लिये उनके द्वारा राज्य हाफ बिजली बिल की छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन (विकल्प–पत्र) की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों के द्वारा आवेदन (विकल्प–पत्र) प्राप्त नहीं होने के कारण नियमित कर्मचारी छूट 50::: प्रतिशत जारी रहा है।"

4. उभयपक्ष द्वारा दिए गए तर्क, जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर फोरम का निष्कर्ष यह है कि परिवादी के सेवानिवृत्ति के समय राज्य शासन की छूट प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा था, जो कि परिवादी को उक्त छूट का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्येक व्यक्ति जो सेवानिवृत्त होता है उस पर अनुज्ञप्तिधारी की यह जिम्मेदारी होता है कि जहां से भी वह विद्युत में लाभ ले रहा है वहां सूचित कर अग्रिम कार्यवाही करायें।
5. यह कि राज्य सरकार द्वारा प्रदाय छूट जो समस्त उपभोक्ताओं को मिल रहा है उसका लाभ परिवादी को प्रदाय किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा जो विभागीय छूट का 50::: प्रतिशत में यदि अतिरिक्त राशि ली गई हो तो वह राशि वसूली योग्य होगी।
6. यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा छ.ग. शासन में जो राशि जमा कराया गया है उसे हॉफ बिजली बिल योजना से क्लेम किया जाना उचित होगा।
7. चूंकि अनुज्ञप्तिधारी क्रमांक 1 व 2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वि.क.मर्या. के अधीनस्थ कर्मचारी हैं। अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा किये गये समस्त कार्यवाही अपने पदीय दायित्वों व पदीय कर्तव्यों के हैशियत से किये जाने से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों का जो भार है, वह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वि.कं.मर्या. का दायित्वधीन के अंतर्गत है।

8. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर इस फोरम की सुविचारित मत एवं **छ.रा.वि.प्र.संहिता 2011** एवं **छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 06.03.2023** के अंतर्गत परिवादी अपना परिवादपत्र, अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः परिवादी का परिवाद पत्र नियमानुसार स्वीकार किया जाता है, और अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

1. **अनुज्ञप्तिधारी को आदेशित किया जाता है कि चूंकि परिवादी राज्य शासन के अंतर्गत विद्युत विभाग का सेवानिवृत्त कर्मचारी है जिसके अनुसार परिवादी को विद्युत विभाग की ओर से 50::: प्रतिशत बिजली बिल योजना का लाभ प्रदाय किया जाता रहा है सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी उक्त लाभ परिवादी को प्रदाय किया जाता रहा है। परिवादी को दिए गए**

Scanned with OKEN Scanner

अधिक छूट के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त राशि भुगतान हेतु जारी किया गया है उसे छ.ग. शासन द्वारा प्रदत्त हाफ बिजली बिल योजना के लाभ के तहत् समायोजित करते हुए नियमानुसार विद्युत देयक पुनरीक्षित कर जारी किया जावे तथा उक्त हॉफ बिजली बिल योजना का छूट प्रदाय करने के उपरांत शेष बकाया राशि होता हो तो उसे परिवादी से नियामनुसार वसूल किया जावे।

फोरम द्वारा संबंधित प्रकरण में दिनांक 13.01.2026 को अंतरिम आदेश जारी किया गया है, जिसे आज दिनांक 24.03.2026 को अंतिम आदेश जारी होने के उपरांत निरस्त माना जावे।

तदानुसार आदेश पारित किया गया।

9. यदि परिवादी इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल, कार्यालय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक भवन परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर रायपुर में अपील कर सकता है।

(प्रीति रानी साव)
सदस्य

(सी.एम. बाजपेयी)
अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner